कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

137

सूचना का अधिकार

क्र0/मा0चि0/3334

सिंगरौली, दिनांक 3/8/2019

प्रति,

उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण)
पूर्व मध्य रेलवे, सिंगरौली

विषयः– सिंगरौली जिले में देवरा ग्राम से मझौली ब्लाक सेक्शन (कटनी–सिंगरौली) रेल्वे लाईन के दोहरीकरण हेतु 1.575 हेक्टेयर वन भूमि उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे, सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः– (i) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPB020/2019-BHO/723, दिनांक 28.06.2019।

(ii) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/868/2019/10–11/2340 भोपाल, दिनांक 17.07.2019।

–000–

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित देवरा ग्राम से मझौली ब्लाक सेक्शन (कटनी–सिंगरौली) रेल्वे लाईन के दोहरीकरण हेतु वनमण्डल सिंगरौली की प्रभावित वन भूमि रकवा 1.575 हे0 के व्यपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव में प्रथम चरण की (सैद्धान्तिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गयी है।

2. प्रथम चरण की (सैद्धान्तिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना एवं एन.पी.व्ही की राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0	मद का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	पर्वेक्षण शुल्क की राशि	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	क्षतिपूरक वनीकरण	5	4619635/–	461964/–	5081599/–
2	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू	1.575	1264725/–	—	1264725/–
	योग:–		5884360/–	461964/–	6346324/–

3. क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रू 50,81,599/– (रु. पचास लाख इक्यासी हजार पांच सौ निन्यानवे मात्र) एवं एन.पी.व्ही. की राशि रू 12,64,725/-- (रू. बारह लाख चौसठ हजार सात सौ पच्चीस मात्र) कुल रू 63,46,324/-- (रु. तिरसठ लाख छियासी हजार तीन सौ चौबीस मात्र) होती है जिसमें से कैम्पा मद में **रु. 58,84,360/– (रु. अट्ठावन लाख चौरासी हजार तीन सौ साठ मात्र)** भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा पर्वेक्षण शुल्क की राशि **रू 4,61,964/– (रू. चार लाख इकसठ हजार नौ सौ चौसठ मात्र)** की डी0डी0 वन मण्डल अधिकारी सिंगरौली के नाम तैयार करा कर प्रस्तुत करें।

4. साथ ही प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ की ओर प्रेषित किया जा सके।

(वनमण्डल अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

3.8.19.

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली(सामान्य)

पृ0क्र0/मा0चि0/3335

सिंगरौली दिनांक 3/8/2019

प्रतिलिपि:–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली(सामान्य)